तारीख हुक्म	भैराराम बनाम रणछोडराम वगैरा 81/2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/04/2023

अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। यह अपील सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2012 बउनवान रणछोडाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर के नवीन खसरा नंबर 656 रकबा 0.6200 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 656 स्वंय अपीलांट की स्वअर्जित आराजी है। उक्त आराजी अपीलांट को दिनांक 21.12.1988 को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन की गई थी। वक्त आवंटन एवं उससे पूर्व पिछले करीबन 10 वर्षो से अपीलांट का ही कब्जा काश्त होने से उक्त आराजी आवंटन की जाकर राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज की गई। तब से उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एव रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त खसरा नंबर 656 की भूमि पुराने खसरा नंबर 813 जो राज्य सरकार के खाते की भूमि थी। जो कि अपीलांट को दिनांक 21.12.1988 को आवंटन की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली बिना अपीलांट की जानकारी मे लाये लोक अदालत कैम्प भाद्राजून मे रखकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पाडेन्टगण अपीलांट की खातेदारी आराजी मे दखलदांजी कर अपीलांट को वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है

राजस्व अपील प्राधिकारी

कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा ग्राम भाद्राजून तहसील आहोर जिला जालोर के नवीन खसरा नंबर 656 रकबा 0.6200 हैक्टेर के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। हस्तगत प्रकरण मे दस्तावेजो के अवलोकन यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट को दिनांक 21.12.1988 को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटन की गई थी। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। हालांकि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल हको का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मूल वाद मे होगा। किन्तु अगर जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट रेकर्डेड खातेदार होते हुए भी अपनी आवंटनशुदा आराजी का उपयोग–उपभोग नहीं कर पाता है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर आहोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 24/2012 बउनवान रणछोडाराम वगैरा बनाम भैराराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली